



2021

**निर्वाचन विभाग  
राजस्थान  
विधान सभा उपचुनाव  
2021**



2021

# सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण

# सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण



2021

- सेक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका एवं मतदान दिवस को मतदान दल के सबसे निकट रहने वाला अधिकारी है, अतः मतदान प्रक्रिया में आने वाली समस्या का सबसे पहले उसी के द्वारा समाधान किया जाता है। उसे ई.वी.एम. एवं वी.वी.पेट, कोविड प्रबन्धन एवं विशेष योग्यजन / 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को प्रदत्त पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा हेतु विशेष प्रशिक्षण भी लेना होगा।

# सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण



2021

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप चुनाव हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किये जायेंगे।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पूर्व ही जिला निर्वाचन अधिकारी 10 से 12 मतदान स्थलों को कवर करते हुए एक सैक्टर का निर्धारण करेंगे। यह सैक्टर इस प्रकार हो कि जिसे 2 घन्टे की अवधि में पूरा कवर किया जा सके।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 155—वल्लभनगर तथा 157—धरियावद (अ.ज.जा.) क्रमशः 283 मतदान केन्द्र एवं 302 मतदान केन्द्र हैं। अतः वल्लभनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 28 सैक्टर ऑफिसर एवं 157—धरियावद (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 30 सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किये जा सकेंगे।
- सैक्टर अधिकारियों को अपने सैक्टर में वलनरेबिलिटी मैपिंग (Vulnerability Mapping), आम मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनके अलावा वोटिंग मशीन, चुनाव प्रबन्धन, मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।



2021

- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही सैक्टर अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दी जायेगी।
- राज्य सरकार के किसी विभाग या राजकीय उपक्रम के राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों में से सैक्टर अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। यदि केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित/उनके समकक्ष अधिकारी उपलब्ध है तो उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है।
- इन सैक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर अथवा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित कराये जायेंगे।



2021

# कर्तव्य एवं दायित्व

- सैक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सैक्टर में स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान हेतु Vulnerability Mapping एवं चुनाव प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- सैक्टर आफिसर को मतदान दिवस के कम से कम 7 दिन पूर्व उसी क्षेत्र के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया जायेगा। इन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दी जायेगी।



2021


- सैक्टर अधिकारी सैक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य भी करेंगे इसलिए वे पुलिस अधिकारी के साथ भी भ्रमण करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी को मतदान केन्द्रों को प्रदर्शित करते हुए नजरी नक्शे के साथ, मतदान केन्द्रों के दूरभाष नम्बरों की सूची तथा निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों, पुलिस थानों, जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची, असामाजिक तत्वों की सूची इत्यादि की सूचना के साथ प्रपत्र-4 में दिये गये नमूने के प्लॉन के अनुसार सैक्टर प्लान तैयार करना होगा।



# सैक्टर नम्बर 01 / 85 बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र

अ. नजरी नक्शा

2021







2021

- सेक्टर अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी तथा पर्यवेक्षक द्वारा बार-बार (साप्ताहिक) रिव्यू बैठकें आयोजित की जाएगी तथा उन्हें आवंटित तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। समीक्षा मीटिंग के दौरान कोविड गाईड लाईन के अनुसार की गयी व्यवस्था एवं अनुपस्थित मतदाताओं को प्रदत्त पोस्टल बैलेट की सुविधा पर चर्चा की जाएगी।
- सैक्टर आफिसरों के द्वारा सम्प्रेषण योजना (Communication Plan) की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।
- चुनाव प्रचार में निषिद्ध गतिविधियों पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग करेगा।



2021

## सैक्टर अधिकारियों को दी जाने वाली सामग्री

- प्रशिक्षण के दौरान सैक्टर अधिकारी को पॉवर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण की प्रति, सैक्टर का नक्शा, रूट चार्ट, सैक्टर में शामिल अधिसूचित मतदान केन्द्रों की सूची, सैक्टर अधिकारी का पहचान पत्र दिये जायें।
- मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाता के आंकड़ें, विभाग की हैल्पलाईन से संबंधित जानकारी, मतदाताओं में जागरूकता हेतु पोस्टल पम्पलेट्स आदि सामग्री, सैक्टर में भयग्रस्त/असुरक्षित महसूस करने वाले मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता सूची, RO/ARO/SHO/BLOs व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सूची दूरभाष नम्बर आदि।

# सैक्टर अधिकारियों को दिये जाने वाले परिपत्र



2021

- भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित परिपत्रों का सेट दिया जायेगा:—
  1. परिपत्र दिनांक 12.10.2007 – **Vulnerability Mapping** बाबत्।
  2. परिपत्र दिनांक 24.10.2008 – **District Election Plan & Sector Management Plan** बाबत्।
  3. परिपत्र दिनांक 22.03.2009 – कानून व्यवस्था एवं **Vulnerability Mapping** से संबंधित सूचनाओं के बाबत्
  4. परिपत्र दिनांक 31.03.2009 – कानून व्यवस्था एवं **Vulnerability Mapping** से संबंधित सूचनाओं के बाबत्
  5. परिपत्र दिनांक 05.03.2011 – **Vulnerability Mapping** से संबंधित सूचनाओं बाबत्
  6. परिपत्र दिनांक 23.03.2011 – **Vulnerable Families/Voters** के क्षेत्र में सैक्टर अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को भ्रमण बाबत्
  7. निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किये गये सभी संबंधित निर्देश एवं परिपत्र।
  8. उपर्युक्त विषयवस्तु पर अद्यतन एवं विस्तृत जानकारी [www.eci.nic.in](http://www.eci.nic.in) एवं [www.ceorajasthan.nic.in](http://www.ceorajasthan.nic.in) पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

# सैक्टर अधिकारियों द्वारा ध्यान मे लाये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु



2021

- सैक्टर अधिकारियों को ईवीएम एण्ड वीवीपेट का विशेष प्रशिक्षण ।
- संवेदनशीलता मानचित्रण
- क्रिटीकल मतदान केन्द्रों के गठन के पैरामीटर
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 109, 116 आदि के प्रावधान
- मतदान दल द्वारा अपनायी जाने वाली मतदान प्रक्रिया
- मतदाता सूचना पर्ची का समय पर वितरण
- एसएमएस द्वारा सूचना देने की प्रणाली
- **NGS** एवं **c-VIGIL App** की जानकारी
- अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा ।
- कोविड प्रबंधन
- ईवीएम की सुरक्षा



2021

➤ सैक्टर अधिकारियों के कर्तव्य-दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है:—

(अ) मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व—

- (i) Vulnerability Mapping संबंधी।
- (ii) मतदान केन्द्रों व मतदान स्थलों व चुनाव प्रबंधन के संबंध में।
- (iii) मतदाताओं में पंजीकरण एवं मतदान हेतु जागरूकता के संबंध में।
- (iv) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक)/दिव्यांग/कोविड 19 संक्रमित निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र हेतु प्रपत्र 12घ वितरण एवं पावती प्रपत्रों को RO तक जमा कराने का कार्य SO की देखरेख में करना।

(ब) मतदान के पूर्व दिवस संबंधी दायित्व

(स) मतदान दिवस संबंधी दायित्व



2021

## (अ) सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व –

(1) भयग्रस्त परिवारों/क्षेत्रों (Vulnerable Families/Areas) की पहचान बाबत – (भारत निर्वाचन आयोग का परिपत्र क्रमांक 464/INST/2007/PLN-I दिनांक 12.10.07 एवं पत्र क्रमांक 464/Instructions/EPS/2011 दिनांक 05.03.2011)

➤ चुनाव के संदर्भ में Vulnerability का आशय–

- (i) किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह का भयभीत होना, भले ही वह मतदाता ऐसे चिन्हित क्षेत्र में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो।
- (ii) मतदाता को स्वतंत्र रहकर और स्वच्छ तरीके से अपने मताधिकार के उपयोग करने में गलत तरीके से रोका जाना या उस पर प्रभाव डालना।
- (iii) मतदाता को प्रताड़ना या उस पर असम्यक प्रभाव डालना या किसी प्रकार का बल प्रयोग।



2021

- चुनावों के संदर्भ में भयग्रस्तता—निवारण बाबत निम्नांकित केन्द्र बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी—
  - (i) ऐसे भयग्रस्त मतदाता या मतदाताओं के समूह की स्पष्ट रूप से पहचान करना,
  - (ii) ऐसे व्यक्तियों अथवा तथ्यों की पहचान करना, जिसके कारण मतदाता/मतदाताओं का वर्ग भयग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करता है, तथा
  - (iii) अग्रिम तौर पर सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाना और उस पर कार्यवाही करना।



2021

- भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए सैक्टर अधिकारियों को उनके सैक्टर से संबंधित समस्त उपलब्ध सूचना, सैक्टर का नक्शा तथा वाहन भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे, जिसमें निम्नांकित कार्यवाही शामिल है:—
  - (i) सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के समग्र क्षेत्र का गहन भ्रमण करेंगे,





2021

- (ii) क्षेत्र के समुदायों के साथ और स्थानीय सूत्रों के साथ बैठकें करेंगे व सम्पर्क रखेंगे,
- (iii) भय एवं प्रताडना के स्रोतों को चिन्हित करेंगे,
- (iv) घटनाओं एवं विद्यमान अन्देशों (current apprehensions) पर गौर करेंगे,
- (v) थानाधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ परामर्श करेंगे,
- (vi) यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी द्वारा भय व प्रताडना से ग्रस्त इलाकों/वर्गों के बारे में कोई सूचना दी जाये तो उस पर भी गौर किया जायेगा और उसके संबंध में तथ्य एकत्र किये जायेंगे,
- (vii) ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं विवरण चिन्हित कर एकत्र किये जायेंगे जो कि भय एवं प्रताडना का कारण बने हुए हैं अथवा असम्यक असर डालते हैं।



2021

- उपरोक्त कार्यवाही के बाद सैक्टर अधिकारी निम्नांकित सूचनाएं भी तैयार करेंगे:—
- (i) ऐसे परिवारों एवं घरों की सूची जो भय या प्रताडना से ग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करते हैं,
  - (ii) ऐसे व्यक्तियों एवं तथ्यों की सूची जो भय व प्रताडना का कारण बने हुये हैं या जिनके कारण मतदाता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
  - (iii) भय, प्रताडना एवं असुरक्षा का कारण बने हुए व्यक्तियों व तथ्यों के संबंध में की गयी कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही,
  - (iv) भय या प्रताडना, अवैध प्रभाव से ऐसे मतदाताओं को सुरक्षित रखने एवं उनको संरक्षण देने हेतु उनके सम्पर्क के व्यक्तियों के नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर। इन सम्पर्क सूत्रों को आपात स्थिति में सहायता हेतु अपना मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध कराना।



2021

- सेक्टर अधिकारी अपनी नियुक्ति के पश्चात् क्षेत्र में प्रत्येक भ्रमण के संबंध में संलग्न प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में बताये गये बिन्दुओं के अनुसार भ्रमण प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी क्षेत्र का गहन भ्रमण करने एवं उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के दौरान समय-समय पर रिटर्निंग अधिकारी एवं थानाधिकारी को क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और प्रपत्र-2 में प्रत्येक भ्रमण पर सूचना रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व अर्थात् नामांकनों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दिवस तक अपने सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पृथक-पृथक **Format VM-SO** में पूर्ण सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

# प्रपत्र-1



2021

सेक्टर अधिकारी द्वारा सेक्टर में किये गये विभिन्न भ्रमणों के प्रतिवेदन का प्रपत्र  
(विधानसभा क्षेत्र .....

सेक्टर का नाम अथवा नम्बर :.....

सेक्टर ऑफिसर का नाम:.....

क्र.सं.	मतदान केन्द्र का नाम जहां भ्रमण किया गया	ढांचागत व्यवस्था (हाँ/नहीं/रिपोर्ट)					मतदाताओं की संख्या	क्या भ्रमण के दौरान बी.एल.ओ. साथ रहा (हाँ/नहीं)	अब तक ज्ञात भयग्रस्त मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र, ग्राम तथा मतदान क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्युक्ति
		रैम्प	सड़क सम्पर्क	पानी	छाया	मतदान केन्द्र क्या भूतल पर है?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
क्रमशः										

टिप्पणी -

सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर:  
भ्रमण का दिनांक:

## प्रपत्र-2



भयग्रस्त ग्रामों/ढाणियों के संबंध में सूचना के संग्रहण के लिये प्रपत्र

जिले का नाम : .....

विधानसभा क्षेत्र: .....

2021

..... मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	भयग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	गड़बड़ी के संभावित स्रोत के रूप में चिन्हित व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण (भय का प्रकार, यथा – जातिगत प्रभुत्व, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक गुट इत्यादि)
1	2	3	4	5



2021

- प्रत्येक मतदान केन्द्र के **Format VM 3-SO** में उस मतदान केन्द्र के समस्त **Vulnerable** परिक्षेत्रों/स्थलों/मतदाताओं का विवरण अंकित होना चाहिए।
- सैक्टर अधिकारी को उक्त **Format VM 4-SO** की सूचना प्रस्तुत करते समय यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके सैक्टर के किसी भी मतदान केन्द्र में भय या प्रताडना से ग्रस्त कोई भी मतदाता/परिक्षेत्र/क्षेत्र/परिवार **Format VM 5-SO** की सूचना में शामिल होने से शेष नहीं रहा है और ना ही छूटा है।
- मतदाताओं के उक्त **Format VM 2,3,4,5 - SO** की एक-एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को देने के साथ-साथ सैक्टर अधिकारी भी एक-एक प्रति अपने पास रखेगा।
- **Format VM 3,4 - SO** के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी भी **Format VM 6-RO** तैयार करेंगे जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जायेगा।
- इसी प्रकार इन सूचनाओं के आधार पर जिला निर्वाचक अधिकारी भी **Format VM 7-DEO** तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। अन्तिम सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
- **Format VM 3,4-SO** की सूचना के उपरान्त भी सैक्टर अधिकारी भय/प्रताडना से ग्रस्त एवं असुरक्षा महसूस करने वाले परिवारों/क्षेत्र में लगातार सम्पत्त रखकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे निरोधात्मक उपायों व विश्वास बनाने के वातावरण हेतु सहयोग करते हुए कार्य करेंगे।



2021

## सैक्टर अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग

### ➤ VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II

(अनुबंध II)

(यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रिपोर्ट संपूर्ण सेक्टर के लिए या प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग से या प्रत्येक ग्राम/मुहल्ले के लिए अलग से प्रस्तुत की जानी है)

**वीएम-2 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता की जांच एवं निर्धारण करने के लिए प्रोफार्मा**

इस फार्मेट को भरने के लिए अनुदेश:

1. यह एक निदर्शी फार्मेट है और अति संवेदनशीलता मानचित्रण करने के लिए प्रारंभिक गाइड के रूप में काम करता है।
2. इस फार्मेट में चाहे कितनी भी संख्या में ऐसे अन्य स्थानीय मुद्दे, जिनकी संबंधित क्षेत्र की अति संवेदनशीलता अरक्षितता पर विवक्षाएं हो सकती हैं, इस फार्मेट में जोड़े जा सकते हैं।
3. यदि मुखबिरों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो तो सेक्टर अधिकारी को सूचना के स्रोत/स्रोतों के प्रकटन पर जोर नहीं डालना चाहिए; और दरअसल, उसकी गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होगा।

1.	ग्राम/उपग्राम/मुहल्ले का नाम
2.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम एवं संख्या

## ➤ VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II



2021

3.	सेक्टर नं.	
4.	शामिल मतदान केन्द्र/दों, ग्राम एवं क्षेत्र का नाम एवं सं.	
	मतदान केन्द्र का नाम एवं सं.	शामिल क्षेत्र का विवरण
5.	क्या पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राम/क्षेत्र में दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच झड़पें हुई हैं ? (यदि हां, तो उसका विवरण)	
6.	क्या ग्राम/क्षेत्र में ऐसी कोई घटना/घटनाएं घटित हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या राजनीतिक हाथापाई हुई है ? (यदि हां, तो उसका ब्यौरा और शामिल समूह)	
7.	क्या पिछले विधान सभा/संसदीय/स्थानीय निकाय निर्वाचन के दौरान कोई निर्वाचन संबंधी अपराध/घटनाएं घटित हुई हैं ? (यदि हां तो उसका ब्यौरा)	
8.	ग्राम में पिछले एक वर्ष के दौरान घटित/पंजीकृत हत्या, बलात्कार, अत्याचार, दंगे जैसे गंभीर अपराधों का विवरण और शामिल व्यक्ति/समूह और वह क्षेत्र जिसमें यह घटित हुआ ?	
9.	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?	





2021

➤ VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II.....

10	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें वर्तमान में पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?
11	क्या ग्राम/क्षेत्र और आसपास में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर भिड़ंत होने की घटनाओं की संभावना है ? (यदि हां तो उसके कारण और शामिल समूह)
12	क्या किसी जाति/समूह/घर-परिवार को इस बात की आशंका है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो जाति/समूह/घर-परिवार का विवरण और उन्हें मिल रही धमकी का प्रकार)
13	महिला मतदाताओं के दृष्टिकोण से मत डालने के लिए सामान्य परिवेश
14	क्या किसी जाति/समुदाय/समूह/घर-परिवार को इस बात का भय है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो ऐसे व्यक्ति/घर-परिवार/समूह के प्रकार का विवरण और उन्हें किनसे डर है वे किस कारण से भयभीत हैं)
15	ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से अति-संवेदनशील मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या
16	मतदान केन्द्र किस दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है ? क्या अति-संवेदनशीलता किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उत्पन्न की गई है ?
17	क्या गांव में घुमंतू जनजातियों और/या कोई बहिष्कृत समुदाय के व्यक्ति निवास कर रहे हैं ? क्या उन्हें किसी के द्वारा डराया-धमकाया गया है ? क्या कोई डर है ? यदि हां, तो किससे ? नाम दें।
18	क्या सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशील व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, पुलिस निरीक्षक के टेलीफोन नंबर और अन्य महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं ?

➤ VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II.....



2021

19	क्या अति-संवेदनशील क्षेत्र/ग्राम के भीतर संपर्क के कुछ विंदुओं की पहचान कर ली गई है ताकि ऐसे घटनाक्रम से संबंधित सूचना को निरंतर ट्रैक किया जा सके। उसका विवरण दें।
20	क्या पिछले दो साधारण निर्वाचनों के दौरान गांव में नकदी, शराब, मोबाइल रिचार्ज, लंच आदि के रूप में अभ्यर्थी द्वारा प्रलोभन दिए जाने के मामले ध्यान में आए हैं ? (महिलाओं एवं युवा मतदाता के संदर्भ में जांच करें)
21	ऐसे मतदान केन्द्रों के नाम एवं संख्या जो अति-संवेदनशील नहीं हैं।
22	अन्य विवरण, यदि कोई हों तो।
23	गांव के ऐसे लोगों के विवरण जिनकी उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित समीक्षा की गई (उनमें से, दो प्रौढ़ व्यक्ति, दो महिलाएं और दो युवा और अन्य व्यक्ति) -  नोट: ये विवरण केवल तभी रिकार्ड किए जाने हैं जब स्रोत अपने विवरणों का प्रकटन करने के लिए तैयार हों।

➤ VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II.....



2021

4.

सं.	नाम	निवास, ग्राम के किस क्षेत्र में है	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
प्रधान आरक्षक/सहायक उप निरीक्षक के हस्ताक्षर		सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर	
नाम:		नाम:	
पदनाम:		पदनाम:	
टेलीफोन नं.:		टेलीफोन नं.:	
सेक्टर नं.:		सेक्टर नं.:	
वि.स. सं.:		वि.स. सं.:	



2021

➤ **VM3 SO : अति-संवेदनशील मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची अनुबंध- III**

**अनुबंध III (मतदान केन्द्रवार)**

**वीएम-3 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार फार्मेट और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची**

सेक्टर अधिकारी को यह फार्मेट भरने से पहले निम्नलिखित नोट करना है:

1. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने सेक्टर में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अलग फार्मेट वीएम/एसओ-III ए (अनुबंध-III) तथा उतने ही वीएम-एसओ IIए भरना है जितने उसके सेक्टर में मतदान केन्द्र की संख्या है।
2. प्रत्येक फार्मेट वीएम/एसओ-II ए में सेक्टर के एक मतदान केन्द्र क्षेत्र में सभी अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों के ब्यौरे अवश्य होने चाहिए।
3. यह अवश्य सुनिश्चित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि किसी भी मतदान केन्द्र क्षेत्र के लिए कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो अति-संवेदनशील है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट न जाए।



2021

➤ VM3 SO : अति-संवेदनशील मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची अनुबंध- III.....

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम:-----

सेक्टर सं.:-----

मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम:-----

I. मुहल्ले का नाम:-----

सूचना की तारीख:-----

**क. अति-संवेदनशील घर/परिवारों की सूची**

क्र. सं.	मुहल्ले में उस घर-परिवार/परिवार की मकान सं./पारिवारिक नाम/अन्य पहचानपरक ब्यौरे जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता रहते हैं	स्तंभ 2 में अति-संवेदनशील के रूप में अभिचिह्नित घर/परिवार में अभिज्ञात मतदाताओं की संख्या	घर-परिवार का संपर्क नं., यदि कोई हो तो	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6



2021

कुल					
-----	--	--	--	--	--

ख. ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें मतदाताओं का भयादोहन करने/गलत तरीके से प्रभावित करने से रोकने के लिए ट्रैक/रोका जाना है

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का संपर्क नं. एवं पता	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
कुल				

II. मुहल्ले का नाम

-----की सूची

-----की सूची

सूचना की तारीख:-----

III. मुहल्ले का नाम:

-----की सूची

-----की सूची

सूचना की तारीख:-----



2021

#### IV. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन

यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग नहीं है, जो मतदान केन्द्र सं.-----मतदान केन्द्र का नाम-----के क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन, 2011 के दृष्टिकोण से 'अति-संवेदनशील' है, और जो मेरे सेक्टर में शामिल है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट गया हो।

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर-----

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं.-----

# ➤ VM4 SO : मतदान केन्द्रवार सारांश- IV



2021

अनुबंध - IV (सेक्टरवार)

वीएम-4 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पाँकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार सारांश और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध IV)

क्र. सं.	विषय	कुल संख्या	
1	सेक्टर अधिकारी को आबंटित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
2	विजिट किए गए मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
3	सभी मतदान केन्द्रों को कवर करने वाले विजिट की संपूर्ण अवधि	से _____	तक _____
4	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे घर-परिवारों की कुल संख्या जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता हैं		
5	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिन्हें अति-संवेदनशील चिह्नित किया गया है		
6	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है		

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर -----

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं. -----





2021

## ➤ VM5 SO : सैक्टर अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अनुबंध- V

अनुबंध- V (सेक्टरवार)

वीएम-5 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/प्रधान आरक्षक/सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र

यह एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो -----निर्वाचन, --  
----- (वर्ष) के दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है, जो मेरे सेक्टर नं. -----में शामिल है, बाकी रह  
गया है या इस फार्मेट में समाविष्ट होने से रह गया है; और यह कि मेरी रिपोर्ट मतदान केन्द्र क्षेत्रों में मेरे  
व्यक्तिगत विजिट पर आधारित है।

सेक्टर पुलिस अधिकारी		सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
नाम		नाम	
पदनाम		पदनाम	
मोबाइल नंबर		मोबाइल नंबर	

दिनांक: -----

स्थान:-----

निर्वाचनों की घोषणा के तीन दिन के भीतर

# रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट



2021

## ➤ VM6 RO : अति-संवेदनशील का सारांश अनुबंध- VI

वीएम-6 (आरओ) : रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता का सारांश और अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची

दिनांक :-----

जिले का नाम:-----

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम: -----

### क. अति-संवेदनशीलता पर विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र सार

क्र. सं.	मतदान केन्द्र की सं. एवं नाम	एसओ द्वारा मतदान केन्द्र क्षेत्र में अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित परिवारों/घर-परिवारों की सं.	अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित मतदाताओं की कुल सं. (स्तंभ 3 में मतदान केन्द्र क्षेत्र में अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित घर-परिवारों में)	मतदान केन्द्र क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

निर्वाचनों की घोषणा के पाँच दिन के भीतर

➤ VM6 RO : अति-संवेदनशील का सारांश अनुबंध- VI.....



2021

ख. विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति का नाम	संपर्क नं. एवं पता	वह मतदान केन्द्र सं. जिसमें वह गड़बड़ी कर रहा है	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
कुल					

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर -----

रिटर्निंग अधिकारी का नाम -----

निर्वाचनों की घोषणा के पांच दिन के भीतर

# जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट



2021

## ➤ VM7 DEO : जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अनुबंध- VII

(अनुबंध VII) (जिला स्तर)

**वीएम-7 (डीईओ): अति-संवेदनशीलता की पहचान पर रिपोर्ट, और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई**

दिनांक: -----

जिले का नाम: -----

**तालिका क**

**अति-संवेदनशीलता की पहचान और उस पर की गई कार्रवाई :**

क्र. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	ऐसे मतदान केन्द्र क्षेत्र/क्षेत्रों की कुल संख्या जिनके क्षेत्र में अति-संवेदनशील व्यक्ति/परिवार चिह्नित किए गए हैं	उन मतदान केन्द्र क्षेत्रों में अति-संवेदनशील चिह्नित मतदाताओं की कुल संख्या	इन अति-संवेदनशील मतदाताओं को अभिन्न होने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचाने के लिए मतदान से पहले और मतदान के दौरान की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

निर्वाचनों की घोषणा के सात दिवस में



2021

## तालिका ख

अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों पर रिपोर्ट :

स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण (संख्या)								
क. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	अभिचिह्नित व्यक्तियों की कुल संख्या	बंधनकृत	तड़ीपार	अभिरक्षा में	कोई अन्य कार्रवाई (विवरण के साथ)	स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है	जैसाकि स्तंभ 8 में उल्लिखित है, कोई कार्रवाई न करने के कारण
1	2	3	4	5	6			
कुल								

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम \_\_\_\_\_

निर्वाचनों की घोषणा के सात दिवस में



- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदाताओं में विश्वास बनाने के उपाय किये जायेंगे तथा उनके द्वारा भी इन क्षेत्रों का भ्रमण कर ऐसे वर्गों से बात की जायेगी।
- जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव निरोधात्मक उपाय एवं कार्यवाही की जायेगी।
- राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक चर्चा करेंगे।
- परेशान करने वाले/भयग्रस्त करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी हेतु थाना स्तर पर विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
- चुनाव पर्यवेक्षक को भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी।



2021

- असामाजिक तत्वों तथा जिनके कारण मतदाता भयग्रस्त है, उनके विरुद्ध धारा 107 / 116 / 151 द.प्र.सं. के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर पुलिस बल की तैनातगी भी की जायेगी।
- पुलिस गश्ती दलों द्वारा लगातार भ्रमण किया जायेगा ताकि भय मुक्त वातावरण बने।
- केन्द्रीय पुलिस बल भी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा विशेष ध्यान देंगे।
- मतदान के पांच दिवस पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report) संयुक्त रूप से आयोग को भेजी जायेगी।



(2) मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन बाबत

- कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक 1000 से अधिक मतदाताओं की सख्या वाले मतदान केन्द्र के साथ सहायक मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश है। तदनुसार मूल मतदान केन्द्र के भवन में ही पृथक कक्ष में सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।
- यह सत्यापन करना कि नक्शे पर दर्शाये गये रूट व्यावहारिक है— उनकी पहुँच और सुगमता सुनिश्चित की जावें।
- मतदान केन्द्र पर ढांचागत व्यवस्थाएँ – पानी, छाया, रैम्प, टॉयलेट, दूरभाष इत्यादि, तथा भवन की भौतिक स्थिति के बारे में व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जावें।
- नये मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित किया जावें।
- मतदान केन्द्र पर सम्पर्क हेतु मोबाईल फोन नम्बर / दूरभाष फोन नम्बर की सूचना ली जावें।





2021

- परिक्षेत्रों में मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपेट का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन करवाना।
- यह देखें कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी दल का कार्यालय तो संचालित नहीं है।
- चुनाव प्रचार में अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के संचालन, सम्पत्ति के विरूपण, अवैध चुनाव प्रचार, सरकारी भवनों/सरकारी वाहनों/सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सभी संभावनाओं पर निगरानी रखेंगे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।



### (3) मतदाताओं बाबत्

- परिक्षेत्रों में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का प्रदर्शन।
- जिन मतदाताओं के फोटो मतदाता पहचान पत्र बनने से शेष रह गये हैं उनके फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए उपाय करना।
- मतदान केन्द्रों के स्थान तथा हैल्पलाईनों के बाबत् मतदाताओं को अवगत कराना।
- मतदाताओं में मतदान करने के लिए जागरूकता लाना – इसके लिए मतदाताओं एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (**BAG**) से निरन्तर सम्पर्क करना



2021

- बी.एल.ओ. के माध्यम से या SMS या निर्वाचन विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फोटो मतदाता सूची में अपने नामों को देखने के लिए मतदाताओं को अवगत कराना। यदि उनका नाम नहीं है तो उसका उपाय बताना।
- मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर बिना किसी लोभ-लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।
- किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता द्वारा अपने पक्ष में या किसी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध किसी प्रकार के लालच या प्रलोभन में नहीं आने के लिए वातावरण बनाना।
- मतदाताओं में यह प्रचारित करना कि मतदान के लिए रिश्वत लेना या कोई उपहार ग्रहण करना कानून के विरुद्ध है और अपराध है।



2021

## (ब) सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के एक दिन पूर्व के दायित्व

- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुंच गये है और समस्त सामग्री उनके पास उपलब्ध है।
- यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा योजना (Security Plan) के अनुरूप मतदान केन्द्रों पर पुलिस बल पहुंच गया है।
- मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन संचालन या मतदान प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करना।
- जहां मतदान केन्द्र में वीडियो/फोटोग्राफी की जानी है वहां वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर सुपरवाइजर पहुंच गया है।
- मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधी में किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय तो नहीं है।
- नियंत्रण कक्ष को ओ.के. रिपोर्ट भेजना।
- मतदान केन्द्र पर सभी आवश्यक पोस्टर सदृश्य स्थान पर चस्पा कर दिए गए हैं।
- मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व बनावटी मतदान के प्रावधानों को दोहराना।
- कोविड को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्र पर व्यवस्था सुनिश्चित करना।



2021

## (स) सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान की स्थिति सुनिश्चित करना – यदि कोई कठिनाई है तो उसके समाधान की कार्यवाही करना।
- **बनावटी मतदान** – मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से 90 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो तो 15 मिनट तक मतदान दल द्वारा इन्तज़ार किया जायेगा। यदि फिर भी कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो बनावटी मतदान सम्पन्न कर मशीन की सीलिंग की कार्यवाही कर ली जायेगी तथा नियत समय पर मतदान प्रारम्भ होगा।



- दिखावटी मतदान प्रमाणन (**Mock Poll Certification**) को सुनिश्चित करना— दिखावटी मतदान का स्टेट्स 30 मिनट के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना (आयोग का पत्र क्रमांक 51 / 7 / 2008—EMS दिनांक 15.7.2008)
- मतदान प्रारम्भ होने के समय तक सैक्टर अधिकारी ऐसे समस्त मतदान केन्द्रों की सूचना एकत्र करेंगे जहां बनावटी मतदान या तो एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ है या बनावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था।



- जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में या एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में दिखावटी मतदान किया गया है वहाँ बार—बार भ्रमण करना एवं निगरानी रखना।
- मतदान प्रारम्भ होने के बाद इसकी सूचना देना।
- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर लगाया गया पुलिस बल तैनात है।
- जहाँ आवश्यक है वहाँ वोटिंग मशीन को बदलना (सेक्टर ऑफिसर को आरक्षित वोटिंग मशीन भी रखनी है)। यदि कहीं VVPAT में खराबी आती है तो VVPAT ही बदली जायेगी।
- CU, BU बदलने पर मॉक पोल करवाना एवं मॉक पोल के बाद पुनः मशीन को सील करने से पूर्व CLEAR करवाते हुए, VVPAT की पर्चियों को भी निकलवाकर सील करवाना।



- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निगरानी रखते हुए उनकी रिपोर्ट करना।
- मतदान केन्द्र के भीतर प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल को सहयोग करना।
- मतदान केन्द्रों के भ्रमण के समय यह देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है तथा मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना।





- राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाले बूथ मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर दूर रहे, यह सुनिश्चित करना ।
- यदि कोई वाहन अवैध रूप से मतदाताओं को लाने-ले जाने का काम कर रहे है तो तुरन्त संबंधित पुलिस मोबाइल पार्टी / थाने को कार्यवाही हेतु सूचित करना ।



2021

- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट समय-समय पर मतदान प्रतिशत अवगत कराना।
- मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतों को निपटाना।
- मतदान दलों द्वारा वोटिंग मशीन की सीलिंग तथा कागजात की तैयारी पर निगरानी रखना।
- मतदान दलों को वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचाना।
- आवश्यकता होने पर आरक्षित दलों में से मतदान कार्मिकों को प्रतिस्थापित करना अथवा सहयोग के लिए लगाना।
- मतदान कार्मिकों को मानदेय भुगतान को सुनिश्चित करना।
- मतदान केन्द्र के भ्रमण के समय मतदान केन्द्र में रखी गई विजिट शीट में इन्द्राज का हस्ताक्षर करना।



2021

- मतदान समाप्ति के बाद वह यह सुनिश्चित करेंगे कि :-
- पीठासीन अधिकारी की डायरी समुचित रूप से भरी गई है।
  - वोटिंग मशीने समुचित रूप से मुहरबन्द है।
  - 17 ग की प्रतियाँ मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है।
  - 17 क का रजिस्टर समुचित रूप से भरा गया है।
  - मतों की संख्या प्ररूप 17-क, 17-ग कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन के आधार पर समान है।
  - पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु समुचित रूप से भरा गया है।
- मतदान पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को पोलिंग के संबंध में प्रपत्र-3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

## प्रपत्र-3



2021

### सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सेक्टर अधिकारी का नाम : .....

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम: .....

रूट नम्बर: .....

अभ्यर्थियों की संख्या: .....

1	PS No.
2	Central Force Deployed Y / N
3	Micro Observer deployed Y / N
4	Video camera deployed Y / N
5	Total voters
6	Whether Mock Poll done (Y / N)
7	No. of Polling Agents present
8	Party candidates not represented by polling agents



2021

9	No. of votes polled at 1st visit (Mention time)
10	No. of votes polled at 2nd visit (Mention time)
11	No. of votes polled at 3rd visit (Mention time)
12	Whether the Vulnerable voters have identified and if so when they have taken for voting
13	Whether poll continued after closure time? (Y / N)
14	No. of voters who have voted after 5 PM by receiving token
15	Total No. of votes polled at close of poll
16	Total % of votes polled



2021

17	Whether machines closed and sealed properly (Y / N)
18	Whether copy of 17C given to polling agents by PrO (Y / N)
19	Whether PrO diary, 17A, 17C checked and tallied? (Y / N)
20	Complaints received on poll day
21	Source of each complaint, its nature and followup action taken
22	Whether repoll recommended (Y / N)
23	Whether machine & statutory papers deposited in strong room (Y / N)



विशेष ध्यान:—

- पीठासीन अधिकारियों को भी उनके मतदान केन्द्र के ऐसे मतदाताओं जो भय व प्रताडना ग्रस्त मतदाताओं के रूप में चिन्हित हैं, की जानकारी दी जायेगी तथा उन्हें इंगित करने हेतु चिन्हित मतदाता सूची के अनुभाग में साईड-मार्जिन में उन मतदाताओं के नामों के सामने उपर से नीचे लाईन खींच कर दर्शाया जायेगा।
- सैक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र में अपने प्रत्येक भ्रमण के समय इन मतदाताओं द्वारा वोट देने या वोट देने के लिए नहीं आने की सूचना प्राप्त करेगा।



2021

- यह सूचना चिन्हित मतदाता सूची में मतदान कर चुके मतदाताओं के नामों को चिन्हित किये जाने हेतु लगाये गये tick (✓) मार्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
- सेक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी भय/प्रताड़नाग्रस्त परिवारों/क्षेत्र में मतदान दिवस को कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे।
- सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी ऐसे इलाकों का भी कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे जहाँ पर मतदाताओं को धमकाने/भयभीत करना संभावित है।
- सैक्टर अधिकारी को यदि यह जानकारी मिलती है कि भय/प्रताड़नाग्रस्त परिवार/मतदाता काफी संख्या में वोट देने के लिए अनुपस्थित है तो वह तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा और उन क्षेत्रों में विशेष दल भेजा जाकर पता लगाया जायेगा कि उन मतदाताओं को वोट देने में किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है और यदि ऐसा है तो उपाय किये जायेंगे।





2021

- मतदान समाप्ति के पश्चात सैक्टर अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी कि उसके सैक्टर के अमुक-अमुक **Vulnerable Pockets** के मतदाताओं ने वोट दिया है अथवा नहीं।
- मतदान दिवस को पर्यवेक्षक भी भय/प्रताडनाग्रस्त मतदाताओं के संबंध में ध्यान रखेंगे।
- जिन मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के रजिस्ट (17-ए) तथा अन्य रिकार्ड की संवीक्षा मतदान के बाद अगले दिन पर्यवेक्षक व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है तो उनमें भय/प्रताडनाग्रस्त मतदाताओं के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की स्थिति भी देखी जायेगी।

# क्रिटिकल मतदान केन्द्र



2021

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गयी है। जो कि निम्न प्रकार से की जाएगी: –
- ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर मतदाता फोटो पहचान पत्र शत प्रतिशत उपलब्ध नहीं है उनको S-1 श्रेणी का मतदान केन्द्र निर्धारित किया जावेगा।
- ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें ऐसे मतदाता जिनका कि परिवार से लिंक नहीं है और वे मतदाता वहां नहीं रहते हैं, उनकी सूची बनाकर उन्हें S-2 श्रेणी का मतदान केन्द्र निर्धारित किया जाएगा।
  1. कुल मतदाताओं की संख्या 1000 से कम है एवं अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या 25 या इससे अधिक है।
  2. कुल मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक है एवं अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या 50 या इससे अधिक है।



2021


- पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी रहनी चाहिए तथा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मतदान दलों के साथ लेना होगा।
- उनको सेक्टर का विस्तृत नक्शा एवं प्लान तैयार रखना चाहिए।
- मतदाता हैल्पलाईनों के संबंध में विवरण उपलब्ध होना चाहिए।
- आरक्षित वोटिंग मशीन का सैट रखना चाहिए। मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के खराब होने पर मशीन का पूरा सैट ही बदला जायेगा।
- सैक्टर अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रह कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त डाक मतपत्र से मतदान करें।
- सैक्टर अधिकारी— सैक्टर मजिस्ट्रेटों एवं एरिया मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण में भी उपस्थित रह कर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी गाईडलाईन दिनांक 24.08.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पालना सुनिश्चित की जायेगी।



### खराबी के कारण यूनिट को बदलना



वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद	BU खराब हो जाए	BU, CU एवं VVPAT का पूरा सेट बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ नई मशीन के प्रत्येक खुले उम्मीदवार बटन पर 1-1 मत देकर पुनः मॉक पॉल किया जाएगा</li> <li>➢ खराब यूनिट्स को केरिंग केस में सील कर रख दिया जाएगा</li> </ul>
	CU खराब हो जाए		
	VVPAT खराब हो जाए	केवल VVPAT को बदला जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ कोई मॉक पॉल नहीं होगा</li> <li>➢ खराब VVPAT को केरिंग केस में सील कर रख देंगे</li> </ul>
	VVPAT की बैटरी खराब हो जाए	केवल VVPAT की बैटरी बदली जाएगी	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ कोई मॉक पॉल नहीं होगा</li> </ul>
वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पहले	कोई भी यूनिट खराब हो	<b>केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा</b>	




किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा पहले सीयू को प्रावर-ऑफ करें

किसी भी स्थिति में वीवीपेट के सील्ड बैलट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा



#### ईवीएम - वीवीपेट को कनेक्ट करना





## वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

डायल करें – 1950

एस.एम.एस. करें— 1950 पर

उदाहरण : ECI<Space> RJ/01/001/123456

(मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)

वेबसाइट – [www.ceorajasthan.nic.in](http://www.ceorajasthan.nic.in) के होम पेज पर  
"search your name in electoral rolls" पर Click करें



2021

भारत निर्वाचन आयोग की वैब साईट पर NGS पोर्टल एवं C-VIGIL App पर भी शिकायत की जा सकती है। इन शिकायतों को सैक्टर अधिकारियों को मिलते ही उन पर तुरन्त कार्यवाही कर रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को दी जानी चाहिए।

# नवीन प्रावधान



2021

## आरक्षित EVM & VVPAT की मूवमेंट की GPS Tracking System से निगरानी

ECI के परिपत्र सं. 51/8/7/2017— EMS दिनांक 30.08.2017 एवं 5.02.2019 के अनुसार SO को दी गई आरक्षित EVM & VVPAT मशीनों की निगरानी हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

1. SO के वाहन पर GPS Tracking System फिट किया जायेगा।
2. इस से SO के वाहन की सम्पूर्ण अवधि में रियल टाइम ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग हो सकेगी जिसमें आरक्षित EVM & VVPAT मशीनें रखी हैं।
3. इस हेतु आरओ स्तर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर **ईवीएम कंट्रोल रूम** स्थापित किये जायेंगे।

# नवीन प्रावधान



2021

4. इन कन्ट्रोल रूम को CEO स्तर के कन्ट्रोल रूम से संबद्ध किया जायेगा। जो कि 24X7 घंटे पर संचालित किये जायेगे।
5. सभी एसओ आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपैट का लेखा **FORMAT A** में मतदान समाप्ति पर सामग्री संग्रहण स्थल पर संबंधित काउन्टर पर विधिवत जमा करायेगें।
6. सभी एसओ से प्राप्त **FORMAT A** के आधार पर आरओ द्वारा **FORMAT B** में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।



# नवीन प्रावधान



2021

- भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश क्रमांक 51/8/7/2020-EMS दिनांक 13 अगस्त, 2021 के द्वारा मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारियों द्वारा ईवीएम एवं वीवीपेट के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाली रिपोर्ट में संशोधन किया है।
- उक्त संशोधन के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट-1 में मॉक पोल प्रमाण पत्र, पार्ट-2 में कंट्रोल यूनिट की यदि बैटरी बदली गई है से संबंधित सूचना एवं पार्ट-3 में मतदान पूर्ण होने के पश्चात् **CLOSE** बटन दबाने से संबंधित प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- उक्त तीनों प्रपत्र की सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा एक निर्धारित लिफाफे में बन्द कर मतदान सामग्री जमा कराने के वक्त काउन्टर पर देनी होगी।
- इसी प्रकार से पार्ट-4 में मॉक पोल के दौरान यदि कोई ईवीएम/वीवीपेट बदली गई है तो उसकी सूचना प्रस्तुत करनी है तथा पार्ट-5 में मतदान के दौरान यदि ईवीएम/वीवीपेट बदली गई है तो इसकी सूचना अंकित करनी होगी। सैक्टर अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान उक्त सूचना एकत्रित कर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

# Format A



2021

**FORMAT-A**

**FOR SECTOR OFFICERS/ZONAL MAGISTRATE etc.**

**(Pre-printed)**

- (a) Name of Election:.....
- (b) No. & Name of Parliamentary/Assembly Constituency):.....
- (c) No. & Name of Assembly Segment:.....
- (In case of Parliamentary Constituency)

**(To be filled at the time of dispersal)**

- (a) Name of Sector Officer/Zonal Magistrate:.....
- (b) Cell Number:.....
- (c) Polling Station Nos. assigned:.....
- (d) Date and Time of receiving Reserve EVMs/VVPATs:.....
- (e) Details of reserve EVMs and VVPATs provided

S.No.	Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT
1			
2			
3			

**(To be filled on poll day)**

**(a) At the time of mock poll on poll day**

S.No.	No. and name of Polling Stations	Unique ID of units replaced at polling station			Unique ID of units provided to polling station			Sign of the Presiding Officer
		Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT	Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT	
1								
2								
3								



# Format A continued----

**(b) At the time of actual poll on poll day**

S.No.	No. and name of Polling Stations	Unique ID of units replaced at polling station			Unique ID of units provided to polling station			Sign of the Presiding Officer
		Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT	Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT	
1								
2								
3								

**(c) At the time of deposition of EVMs and VVPATs at Reception Centre**

(i) Date and Time of Deposition of the Reserve EVMs/VVPATs:.....

(ii) Details of unused/defective unused EVMs and VVPATs deposited at reception centre

S.No.	Unique ID of BU	Unique ID of CU	Unique ID of VVPAT
1			
2			
3			

It is certified that the above information is correct.

(Signature)  
Name of Sector Officer  
Designation

It is certified that I have received the unused/defective unused EVMs and VVPATs as mentioned above from the Sector Officer (Name).

(Signature)  
Name of RO/ARO

# Format B



2021

FORMAT-B

## CERTIFICATE

I .....(name), Returning Officer of .....(No. and Name of AC/PC) of .....(district) in .....(State/UT) for the election to.....(General/Bye-election to AC/PC) hereby certify that all the unused reserve EVMs and VVPATs and defective unpolled EVMs and VVPATs in respect of my AC/PC have been received from all the Sector Officers, the numbers tallied and accounted for and all these units have been safely stored in the earmarked strongrooms, as per the extant instructions of the Commission.

(Signature)  
Name of RO

Date:  
Place:

# नवीन प्रावधान



2021

7. सभी एसओ को हिदायत दी जाती है की आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपैट को अधिकृत वाहन से अनावश्यक रूप से नहीं हटायें जब तक कि मतदान से पूर्व व मतदान के समय आवश्यकता न हो।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी सभी एसओ के वाहनों की जिनमे आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपैट ले जायी जा रही है, की सूची मय एसओ के नाम की सूची सभी राजनैतिक दलों व पर्यवेक्षक को उपलब्ध करवायेंगे।
9. सामान्य पर्यवेक्षक उक्त वाहनों व आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपैट के संदर्भ मे प्राप्त शिकायतों को देखेगे तथा वाहनों का निरीक्षण कर सकेगे।

# डाक मतपत्र के संदर्भ में नवीन प्रावधान



2021

आयोग के पत्र दिनांक 17.09.2020 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक), दिव्यांग जन, कोविड 19 संक्रमित की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

## डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया:-

1. अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के भीतर BLO के माध्यम से उक्त तीनों श्रेणी के निर्वाचकों को विकल्प पत्र प्रपत्र 12घ वितरण करा पावती प्रपत्र RO के पास संग्रहित कराना।
2. रिटर्निंग अधिकारी के संपूर्ण पर्यवेक्षण में SO इसकी देखरेख करेंगे।
3. SO मतदान दलों को तैनात कर पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार डाक मतपत्र वितरित एवं संग्रहित करेंगे तथा RO के पास जमा कराएंगे।



2021

# कोविड-19 के संदर्भ में विशेष निर्देश

1. आने वाले निर्वाचकों के लिये साबुन, पानी एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था होगी ।
2. आने वाले निर्वाचकों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा । मास्क के बिना कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
3. उचित सामाजिक दूरी की पालना हो ।

# कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु

## सामान्य निर्देश



2021

4. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रशिक्षण स्थल एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र को उपयोग में लिये जाने से पूर्व आवश्यक रूप से सेनेटाइज करवाया जायेगा।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।





2021

## मतदान दिवस पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

- ❖ सेनेटाईज करने का कार्य मतदान दल में नियुक्त एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी / होमगार्ड / सिविल डिफेन्स / एनसीसी द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। इसके द्वारा ही मतदान के लिए लाईन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- ❖ मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतु यथा संभव तीन पंक्तियों में पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों / वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक-पृथक होगी।



2021

# मतदान दिवस पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

- ❖ प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फिट (2 गज) की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किए जाएंगे। जहाँ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान भवन से बाहर रखा जाएगा।
- ❖ संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए। यदि पोलिंग एजेंट अधिक संख्या में हो तो उन्हें इस तरह बाहर बिठाया जाए कि वे कक्ष के अन्दर की कार्यवाही देख सकें।



2021

## मतदान दिवस पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

- ❖ मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिक का कोविड परीक्षण करवाया जावे।
- ❖ अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर सेनेटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं सभी व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जावेगा, ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो, एक बार में केवल एक मतदाता ही खड़ा हो सकेगा।



2021

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर जाकर सम्पर्क किये जाने पर अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति अनुमत है। यदि कोई सुरक्षाकर्मी भी साथ है तो ये इन पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त होंगे।
2. रोड शो— रोड शो में अधिकतम पांच वाहन अनुमत है परन्तु पाँच से अधिक वाहन होने पर प्रत्येक पाँच वाहनों के मध्य आधे घंटे का समय अन्तराल होना चाहिये।
3. चुनावी सभायें/मीटिंग— जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिन्हित सभा स्थलों में प्रवेश व निकास की व्यवस्था पृथक-पृथक सुनिश्चित की जावे।
4. इन सभाओं में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि 2 गज की सामाजिक दूरी की पालना हो।
5. नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को भी कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने हेतु शामिल किया जाये।
6. सभा स्थल पर आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा निश्चित की गई संख्या से अधिक भीड़ एकत्रित नहीं हों।



2021

## सेक्टर अधिकारी के लिए अन्य बिन्दु

सैक्टर अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह अपने सेक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पहचान पत्र को प्रदर्शित रखें।

### ➤ सम्प्रेषण योजना –

- सैक्टर में सभी मतदान केन्द्रों के भवनों, बूथ लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर
  - पुलिस थाना, पुलिस मोबाइल दलों, केन्द्रीय पुलिस बल के प्रभारियों के नाम व सम्पर्क नम्बर
  - कन्ट्रोल रूम, RO, ARO, DEO, Dy. DEO, एरिया मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक व चुनाव संबंधी अन्य अधिकारियों एवं विभिन्न टीमों जैसे FS, SST, VST के सम्पर्क नम्बर
- सैक्टर अधिकारियों को भ्रमण के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की विडियोग्राफी भी करानी चाहिए और ऐसे विडियोग्राफी की सीडी उसी दिन अपनी रिपोर्ट के साथ RO को सौंपी जावे।



2021

# सेक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन

# सेक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन



2021

- सेक्टर अधिकारी अपनी नियुक्ति के पश्चात् क्षेत्र में प्रत्येक भ्रमण के संबंध में संलग्न प्रपत्र-1 तथा प्रपत्र-2 में बताये गये बिन्दुओं के अनुसार भ्रमण प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से 3 दिवस तक भ्रमण कर **Vulnerability Mapping** के संबंध में एकत्र सूचना **Format VM 2,3,4,5-SO** में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो 5 दिवस में आर.ओ. द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवाई जावेगी।
- मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान दिवस की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ एक रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी निर्धारित प्रपत्र-3 में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- मतदान दिवस को भ्रमण के समय उपयोग हेतु प्रपत्र-4 में नजरी नक्शा

# सैक्टर अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग



## VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II 2021

(अनुबंध II)

(यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह रिपोर्ट संपूर्ण सेक्टर के लिए या प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग से या प्रत्येक ग्राम/मुहल्ले के लिए अलग से प्रस्तुत की जानी है)

**वीएम-2 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता की जांच एवं निर्धारण करने के लिए प्रोफार्मा**

इस फार्मेट को भरने के लिए अनुदेश:

1. यह एक निदर्शी फार्मेट है और अति संवेदनशीलता मानचित्रण करने के लिए प्रारंभिक गाइड के रूप में काम करता है।
2. इस फार्मेट में चाहे कितनी भी संख्या में ऐसे अन्य स्थानीय मुद्दे, जिनकी संबंधित क्षेत्र की अति संवेदनशीलता अरक्षितता पर विवक्षाएं हो सकती हैं, इस फार्मेट में जोड़े जा सकते हैं।
3. यदि मुखबिरों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो तो सेक्टर अधिकारी को सूचना के स्रोत/स्रोतों के प्रकटन पर जोर नहीं डालना चाहिए; और दरअसल, उसकी गोपनीयता के लिए उत्तरदायी होगा।

1.	ग्राम/उपग्राम/मुहल्ले का नाम
2.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम एवं संख्या



# VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II



2021

3.	सेक्टर नं.	
4.	शामिल मतदान केन्द्र/दों, ग्राम एवं क्षेत्र का नाम एवं सं.	
	मतदान केन्द्र का नाम एवं सं.	शामिल क्षेत्र का विवरण
5.	क्या पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राम/क्षेत्र में दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच झड़पें हुई हैं ? (यदि हां, तो उसका विवरण)	
6.	क्या ग्राम/क्षेत्र में ऐसी कोई घटना/घटनाएं घटित हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप दो या अधिक जातियों/समुदायों/समूहों के बीच बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या राजनीतिक हाथापाई हुई है ? (यदि हां, तो उसका ब्यौरा और शामिल समूह)	
7.	क्या पिछले विधान सभा/संसदीय/स्थानीय निकाय निर्वाचन के दौरान कोई निर्वाचन संबंधी अपराध/घटनाएं घटित हुई हैं ? (यदि हां तो उसका ब्यौरा)	
8.	ग्राम में पिछले एक वर्ष के दौरान घटित/पंजीकृत हत्या, बलात्कार, अत्याचार, दंगे जैसे गंभीर अपराधों का विवरण और शामिल व्यक्ति/समूह और वह क्षेत्र जिसमें यह घटित हुआ ?	
9.	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?	

## VM2 SO : अति-संवेदनशील की जांच व निर्धारण अनुबंध- II.....



2021

10	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिन्हें वर्तमान में पीएएसए के तहत तड़ीपार या बंद किया गया है ?
11	क्या ग्राम/क्षेत्र और आसपास में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के मददेनजर भिड़ंत होने की घटनाओं की संभावना है ? (यदि हां तो उसके कारण और शामिल समूह)
12	क्या किसी जाति/समूह/घर-परिवार को इस बात की आशंका है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो जाति/समूह/घर-परिवार का विवरण और उन्हें मिल रही धमकी का प्रकार)
13	महिला मतदाताओं के दृष्टिकोण से मत डालने के लिए सामान्य परिवेश
14	क्या किसी जाति/समुदाय/समूह/घर-परिवार को इस बात का भय है कि उन्हें मत डालने से रोका जाएगा (यदि हां तो ऐसे व्यक्ति/घर-परिवार/समूह के प्रकार का विवरण और उन्हें किनसे डर है वे किस कारण से भयभीत हैं)
15	ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से अति-संवेदनशील मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या
16	मतदान केन्द्र किस दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है ? क्या अति-संवेदनशीलता किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उत्पन्न की गई है ?
17	क्या गांव में घुमंतू जनजातियों और/या कोई बहिष्कृत समुदाय के व्यक्ति निवास कर रहे हैं ? क्या उन्हें किसी के द्वारा डराया-घमकाया गया है ? क्या कोई डर है ? यदि हां, तो किससे ? नाम दें।
18	क्या सेक्टर अधिकारियों द्वारा अति-संवेदनशील व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, पुलिस निरीक्षक के टेलीफोन नंबर और अन्य महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं ?



19	क्या अति-संवेदनशील क्षेत्र/ग्राम के भीतर संपर्क के कुछ विंदुओं की पहचान कर ली गई है ताकि ऐसे घटनाक्रम से संबंधित सूचना को निरंतर ट्रैक किया जा सके। उसका विवरण दें।
20	क्या पिछले दो साधारण निर्वाचनों के दौरान गांव में नकदी, शराब, मोबाइल रिचार्ज, लंच आदि के रूप में अभ्यर्थी द्वारा प्रलोभन दिए जाने के मामले ध्यान में आए हैं ? (महिलाओं एवं युवा मतदाता के संदर्भ में जांच करें)
21	ऐसे मतदान केन्द्रों के नाम एवं संख्या जो अति-संवेदनशील नहीं हैं।
22	अन्य विवरण, यदि कोई हों तो।
23	गांव के ऐसे लोगों के विवरण जिनकी उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित समीक्षा की गई (उनमें से, दो प्रौढ़ व्यक्ति, दो महिलाएं और दो युवा और अन्य व्यक्ति) -  नोट: ये विवरण केवल तभी रिकार्ड किए जाने हैं जब स्रोत अपने विवरणों का प्रकटन करने के लिए तैयार हों।



4.

सं.	नाम	निवास, ग्राम के किस क्षेत्र में है	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<p>प्रधान आरक्षक/सहायक उप निरीक्षक के हस्ताक्षर</p> <p><b>नाम:</b></p> <p><b>पदनाम:</b></p> <p><b>टेलीफोन नं.:</b></p> <p><b>सेक्टर नं.:</b></p> <p><b>वि.स. सं.:</b></p>		<p>सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर</p> <p><b>नाम:</b></p> <p><b>पदनाम:</b></p> <p><b>टेलीफोन नं.:</b></p> <p><b>सेक्टर नं.:</b></p> <p><b>वि.स. सं.:</b></p>	



2021

## VM3 SO : अति-संवेदनशील मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची अनुबंध- III

अनुबंध III (मतदान केन्द्रवार)

वीएम-3 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार फार्मेट और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची

सेक्टर अधिकारी को यह फार्मेट भरने से पहले निम्नलिखित नोट करना है:

1. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने सेक्टर में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अलग फार्मेट वीएम/एसओ-III ए (अनुबंध-III) तथा उतने ही वीएम-एसओ IIए भरना है जितने उसके सेक्टर में मतदान केन्द्र की संख्या है।
2. प्रत्येक फार्मेट वीएम/एसओ-II ए में सेक्टर के एक मतदान केन्द्र क्षेत्र में सभी अति-संवेदनशील मुहल्लों/पॉकेटों/मतदाता वर्गों के ब्यौरे अवश्य होने चाहिए।
3. यह अवश्य सुनिश्चित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि किसी भी मतदान केन्द्र क्षेत्र के लिए कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो अति-संवेदनशील है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट न जाए।



2021

VM3 SO : अति-संवेदनशील मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार सूची अनुबंध- III.....

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम:-----

सेक्टर सं.:-----

मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम:-----

I. मुहल्ले का नाम:-----

सूचना की तारीख:-----

**क. अति-संवेदनशील घर/परिवारों की सूची**

क्र. सं.	मुहल्ले में उस घर-परिवार/परिवार की मकान सं./पारिवारिक नाम/अन्य पहचानपरक ब्यौरे जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता रहते हैं	स्तंभ 2 में अति-संवेदनशील के रूप में अभिचिह्नित घर/परिवार में अभिज्ञात मतदाताओं की संख्या	घर-परिवार का संपर्क नं., यदि कोई हो तो	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6



2021

कुल					
-----	--	--	--	--	--

ख. ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें मतदाताओं का भयादोहन करने/गलत तरीके से प्रभावित करने से रोकने के लिए ट्रैक/रोका जाना है

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का संपर्क नं. एवं पता	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
कुल				

II. मुहल्ले का नाम

-----की सूची

-----की सूची

सूचना की तारीख:-----

III. मुहल्ले का नाम:

-----की सूची

-----की सूची

सूचना की तारीख:-----



2021

#### IV. सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन

यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग नहीं है, जो मतदान केन्द्र सं.-----मतदान केन्द्र का नाम-----के क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन, 2011 के दृष्टिकोण से 'अति-संवेदनशील' है, और जो मेरे सेक्टर में शामिल है, इस फार्मेट में शामिल किए जाने से छूट गया हो।

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर-----

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं.-----



# VM4 SO : मतदान केन्द्रवार सारांश- IV



2021

अनुबंध - IV (सेक्टरवार)

वीएम-4 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशील मुहल्लों/पाँकेटों/मतदाता वर्गों की सूची बनाने के लिए मतदान केन्द्रवार सारांश और भयादोहन करने वाले व्यक्तियों की सूची (अनुबंध IV)

क्र. सं.	विषय	कुल संख्या	
1	सेक्टर अधिकारी को आबंटित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
2	विजिट किए गए मतदान केन्द्रों की कुल संख्या		
3	सभी मतदान केन्द्रों को कवर करने वाले विजिट की संपूर्ण अवधि	से _____	तक _____
4	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे घर-परिवारों की कुल संख्या जिनमें अति-संवेदनशील मतदाता हैं		
5	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिन्हें अति-संवेदनशील चिह्नित किया गया है		
6	सभी मतदान केन्द्रों में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है		

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर -----

सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम एवं मोबाइल नं. -----

# VM5 SO : सैक्टर अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अनुबंध- V



2021

## अनुबंध- V (सेक्टरवार)

वीएम-5 (एसओ) : सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट/प्रधान आरक्षक/सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र

यह एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई भी मुहल्ला/पॉकेट/मतदाता वर्ग जो -----निर्वाचन, --  
----- (वर्ष) के दृष्टिकोण से अति-संवेदनशील है, जो मेरे सेक्टर नं. -----में शामिल है, बाकी रह  
गया है या इस फार्मेट में समाविष्ट होने से रह गया है; और यह कि मेरी रिपोर्ट मतदान केन्द्र क्षेत्रों में मेरे  
व्यक्तिगत विजिट पर आधारित है।

सेक्टर पुलिस अधिकारी		सेक्टर अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
नाम		नाम	
पदनाम		पदनाम	
मोबाइल नंबर		मोबाइल नंबर	

दिनांक: -----

स्थान:-----

निर्वाचनों की घोषणा के तीन दिन के भीतर

# रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट



2021

## VM6 RO : अति-संवेदनशील का सारांश अनुबंध- VI

वीएम-6 (आरओ) : रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अति-संवेदनशीलता का सारांश और अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की सूची

दिनांक :-----

जिले का नाम:-----

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम: -----

### क. अति-संवेदनशीलता पर विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र सार

क्र. सं.	मतदान केन्द्र की सं. एवं नाम	एसओ द्वारा मतदान केन्द्र क्षेत्र में अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित परिवारों/घर-परिवारों की सं.	अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित मतदाताओं की कुल सं. (स्तंभ 3 में मतदान केन्द्र क्षेत्र में अति-संवेदनशील के रूप में चिह्नित घर-परिवारों में)	मतदान केन्द्र क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

निर्वाचनों की घोषणा के पाँच दिन के भीतर

## VM6 RO : अति-संवेदनशील का सारांश अनुबंध- VI.....



2021

ख. विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति का नाम	संपर्क नं. एवं पता	वह मतदान केन्द्र सं. जिसमें वह गड़बड़ी कर रहा है	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
कुल					

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर -----

रिटर्निंग अधिकारी का नाम -----

निर्वाचनों की घोषणा के पांच दिन के भीतर

# जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट



## VM7 DEO : जिला स्तर पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अनुबंध- VII

2021

(अनुबंध VII) (जिला स्तर)

वीएम-7 (डीईओ): अति-संवेदनशीलता की पहचान पर रिपोर्ट, और जिला स्तर पर की गई कार्रवाई

दिनांक: \_\_\_\_\_

जिले का नाम: \_\_\_\_\_

तालिका क

अति-संवेदनशीलता की पहचान और उस पर की गई कार्रवाई :

क्र. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	ऐसे मतदान केन्द्र क्षेत्र/क्षेत्रों की कुल संख्या जिनके क्षेत्र में अति-संवेदनशील व्यक्ति/परिवार चिह्नित किए गए हैं	उन मतदान केन्द्र क्षेत्रों में अति-संवेदनशील मतदाताओं की कुल संख्या	इन अति-संवेदनशील मतदाताओं को अभिन्नस्त होने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचाने के लिए मतदान से पहले और मतदान के दौरान की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
कुल					

निर्वाचनों की घोषणा के सात दिवस में

अति-संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों पर रिपोर्ट :



			स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण (संख्या)					
क. सं.	वि. स. संख्या एवं नाम	अभिचिह्नित व्यक्तियों की कुल संख्या	बंधनकृत	तड़ीपार	अभिरक्षा में	कोई अन्य कार्रवाई (विवरण के साथ)	स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है	जैसाकि स्तंभ 8 में उल्लिखित है, कोई कार्रवाई न करने के कारण
1	2	3	4	5	6			
कुल								

ज़िला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

ज़िला निर्वाचन अधिकारी का नाम \_\_\_\_\_

## प्रपत्र-3



2021

### सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सेक्टर अधिकारी का नाम : .....

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम: .....

रूट नम्बर: .....

अभ्यर्थियों की संख्या: .....

1	PS No.
2	Central Force Deployed Y / N
3	Micro Observer deployed Y / N
4	Video camera deployed Y / N
5	Total voters
6	Whether Mock Poll done (Y / N)
7	No. of Polling Agents present
8	Party candidates not represented by polling agents



2021

9	No. of votes polled at 1st visit (Mention time)
10	No. of votes polled at 2nd visit (Mention time)
11	No. of votes polled at 3rd visit (Mention time)
12	Whether the Vulnerable voters have identified and if so when they have taken for voting
13	Whether poll continued after closure time? (Y / N)
14	No. of voters who have voted after 5 PM by receiving token
15	Total No. of votes polled at close of poll
16	Total % of votes polled





2021

17	Whether machines closed and sealed properly (Y / N)
18	Whether copy of 17C given to polling agents by PrO (Y / N)
19	Whether PrO diary, 17A, 17C checked and tallied? (Y / N)
20	Complaints received on poll day
21	Source of each complaint, its nature and followup action taken
22	Whether repoll recommended (Y / N)
23	Whether machine & statutory papers deposited in strong room (Y / N)

# प्रपत्र-1



सेक्टर अधिकारी द्वारा सेक्टर में किये गये विभिन्न भ्रमणों के प्रतिवेदन का प्रपत्र  
(विधानसभा क्षेत्र .....

2021

सेक्टर का नाम अथवा नम्बर :.....

सेक्टर ऑफिसर का नाम:.....

क्र.सं.	मतदान केन्द्र का नाम जहां भ्रमण किया गया	ढांचागत व्यवस्था (हाँ/नहीं/रिपोर्ट)					मतदाताओं की संख्या	क्या भ्रमण के दौरान बी.एल.ओ. साथ रहा (हाँ/नहीं)	अब तक ज्ञात भय ग्रस्त मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र, ग्राम तथा मतदान क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्युक्ति
		रैम्प	सड़क सम्पर्क	पानी	छाया	मतदान केन्द्र क्या भूतल पर है?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
क्रमशः										

टिप्पणी =

सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर:  
भ्रमण का दिनांक:

# प्रपत्र-2



भयग्रस्त ग्रामों/ढाणियों के संबंध में सूचना के संग्रहण के लिये प्रपत्र

जिले का नाम : .....


विधानसभा क्षेत्र: .....

2021

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों/ढाणियों के नाम	भयग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्रामों/ढाणियों के नाम	गड़बड़ी के संभावित स्रोत के रूप में चिन्हित व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण (भय का प्रकार, यथा – जातिगत प्रभुत्व, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक गुट इत्यादि)
1	2	3	4	5



अ. नजरी नक्शा



ब. जोन में सम्मिलित निम्न मतदान केन्द्र के क्षेत्र व परिक्षेत्र जिनमें **Vulnerable voters/families** को चिन्हित किया गया है -

1..... 2..... 3..... 4.....



2021

लगातार ..... प्रपत्र – 4

स. सैक्टर में चिन्हित किए गये असामाजिक तत्वों के नाम एवं इलाका –

1. 2. 3.

द. सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान केन्द्र पर देखे जाने वाले बिन्दु

क्र.सं.	बिन्दु	स्रोत
1.	मतदाता अनुशासित रूप से पंक्तिबद्ध है या नहीं ?	मतदान अभिकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2.	मतदान दल द्वारा मतदाता की पहचान हेतु आयोग के अधिकृत वैकल्पिक दस्तावेज देख कर पहचान की जा रही है अथवा नहीं?	
3.	मतदान केन्द्र में अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित तो नहीं है?	मतदान अभिकर्ता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4.	मतदान दल के सदस्य बार-बार वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में तो नहीं जा रहे हैं?	
5.	मतदान दल द्वारा प्रारूप 17क का इन्द्राज किया जा रहा है या नहीं?	मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रजिस्टर देखकर
6.	मतदाता मतदान करने के बाद अमित स्याही को मिटा तो नहीं रहे हैं?	मतदान के पश्चात् मतदाता की अंगुली पर निशान देखकर
7.	भय प्रताडना से ग्रस्त मतदाताओं में से मतदाता वोट देने के लिये आ रहे है अथवा नहीं ?	चिन्हित मतदाता सूची में भय-प्रताडना से ग्रस्त मतदाताओं को इंगित करने हेतु साईड मार्जिन में लाईन एवं मतदान दिवस को क्षेत्रों का भ्रमण

य. सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

1. जिला कन्ट्रोल रूम .....
2. पर्यवेक्षक .....
3. रिटर्निंग ऑफिसर .....
4. सैक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाईल नम्बर .....

# धन्यवाद